न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2017 नामान्तरकरण अपील

1. सत्यनारायण पुत्र नानगराम महावर जाति कोली निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण तहसीलदार लालसोट दिनांक 04.06.2015 नामान्तरकरण सं. 1593 वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा

उपस्थिति :– 1. श्री पंकज कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:आदेश:–

दिनांक 13.03.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं. 40 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम निर्झरना पटवार हल्का निर्झरना तहसील लालसोट में स्थित है। जिसमें अपीलान्ट जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार का रिकार्डेड काबिज काश्तकार है। परन्तु अपीलान्ट के पिता नानगराम की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का व तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 09.10.2014 को राजस्व कैम्प में मृतक नानगराम के वास्तविक वारिसान के नाम जमीन का नामान्तरकरण खोले जाने हेतु तस्दीक पेश होने पर बाद जांच वारिसान दिनांक 04.06.2015 को नामान्तकरण तस्दीक फरमाया गया। लेकिन अपीलान्ट के वास्तविक रिकार्डेड दस्तावेजात में अंकन नाम सत्यनारायण की जगह मुकेश भर कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो सरासर गलत तौर पर तस्दीक फरमाया गया है। जिससे व्यथित होकर नामान्तरकरण सं. 1593 दिनांक 04.06.2015 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता नानगराम की मृत्यु के पश्चात अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1593 दिनांक 04.06.2015 तस्दीक फरमाने से पूर्व हल्का पटवारी व तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया एवं अपीलान्ट के वास्तविक नाम सत्यनारायण महावर के स्थान पर मुकेश कुमार कर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण भरवाकर बिना सूचना दिये, बिना जांच किये तस्दीक फरमाया गया है। अपीलान्ट का असल नाम सत्यनारायण महावर है। जिसके सरकारी दस्तावेजात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में अपीलान्ट का नाम सत्यनारायण महावर अंकित है। राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज होने की वजह से उसे के.सी.सी, लोन अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड रहा है। अतः नामान्तरकरण सं. 1593 दिनांक 04.06.2015 ग्राम निर्झरना को निरस्त फरमाया जाकर मृतक नानगराम के वारिसान के वास्तविक नामों की सही जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु रेस्पोडेन्ट को आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकण सं. 1593 वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा दिनांक 04.06.2015 को तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील 02 वर्ष पश्चात पेश की गई है। विलम्ब का उचित कारण भी प्रस्तुत नही किया गया है। मृतक नानगराम के सजरा अनुसार विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण में अंकित सजरा में अपीलान्ट सत्यनारायण का नाम अंकित नही है। जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में अपीलान्ट का नाम सत्यनारायण पुत्र नानगराम महावर अंकित किया हुआ है। अतः मृतक खातेदार नानगराम के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1593 दिनांक 04.06.2015 ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मृतक खातेदार नानगराम के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा